132

125

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी–3/4/2004/3/एक/ भोपाल, दिनांक 15.9.2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषय :— शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि का परिवार कल्याण कार्यकम के अंतर्गत नसबन्दी ऑपेरेशन कराने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों बाबत्।

—0—

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नसबंदी/ऑपरेशन कराने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करने संबंधी योजना दिनांक 15.01.1979 से लागू की गई थी। परिपत्र कमांक 46/91/1/3/79 दिनांक 29.01.79 में शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नि का दो जीवित बच्चों के बाद नसबन्दी ऑपरेशन कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियां तथा तीन जीवित बच्चों के बाद नसबन्दी ऑपरेशन कराने पर एक वेतनवृद्धि का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात् उपरोक्त नीति में संशोधन करते हुए परिपत्र कमांक सी–3/9/2001/1/3 दिनांक 7.8.2001 द्वारा एक जीवित बच्चे के बाद नसबन्दी/ऑपरेशन कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियां तथा दो जीवित बच्चों के बाद नसबन्दी ऑपरेशन कराने पर एक वेतनवृद्धि देने का प्रावधान किया गया है।

2/ शासन की नीति के अंतर्गत उपरोक्त स्वीकृत अग्रिम वेतनवृद्धि को जोड़कर शासकीय सेवक का वेतन निर्धारित किया जाता है, जो भविष्य में शासकीय सेवक की पदोन्नति होने अथवा वेतनमान पुनरीक्षित होने पर यह वेतनवृद्धि उसी में समाहित हो जाती है।

3/ शासकीय सेवकों द्वारा इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं दायर की हैं। कुछ प्रकरणों में मा. न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वीकृत अग्रिम वेतनवृद्धियां संबंधित शासकीय सेवक का "व्यक्तिगत वेतन" माना जाना चाहिए।

4/ राज्य शासन द्वारा वर्तमान व्यवस्था परिपत्र कमांक सी–3/9/2001/1/3 दिनांक 07.08.2001 द्वारा निर्धारित को यथावत् रखते हुए निर्णय लिया गया है कि जिन शासकीय सेवकों द्वारा पूर्व में परिवार कल्याण कार्यक्रम शासन के उक्त निर्देशानुसार अपनाया गया है, उनमें से केवल उन्हीं शासकीय सेवकों की वेतनवृद्धि व्यक्तिगत वेतन मान्य की जावे, जिन्हें मा. न्यायालयों से आदेश प्राप्त हो गए हैं एवं अपील की समय–सीमा निकल गई है। जिन प्रकरणों में अपील की समय–सीमा है, उनमें संबंधित विभाग विधि विभाग से

letters to all pd&s ... 2006 ...

—2—

परामर्श कर उपरोक्त विषयक् न्यायालीयन आदेश के विरूद्ध अपील/याचिका दायर करने की कार्यवाही तत्काल की जाए। शेष शासकीय सेवकों को उक्त वेतनवृद्धि व्यक्तिगत वेतन मान्य नहीं किया जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेन्द्र शर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क० सी-3/4/2004/1/3 भोपाल, दिनांक 14-9 .2006

प्रतिलिपिः-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर /जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/ अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेन्द्र शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

letters to all ps&secy 14 9 2006 ...